निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 चैत्र 1944 (श0)
(सं0 पटना 171) पटना, शुक्रवार, 1 अप्रील 2022

fof/k foHkkx

अधिसूचना

1 अप्रील 2022

सं० एल०जी०–01–08/2022–2768/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 1 अप्रील 2022 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

fcgkj&jkT;iky d vkns'k ls]
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
ljdkj d iHkkjh lfpoA

www.LinkingLaws.com

[fcgkj vf/kfu;e 03] 2022]

fcgkj e|fu"k/k vkj mRikn ¼l'kks/ku½ vf/kfu;e] 2022

fcgkj e|fu"k/k vkj mRikn vf/kfu;e] 2016 ¼ fcgkj vf/kfu;e 20] 2016½ dk l'kkf/kr djus dfy, vf/kfu;e

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य के विधानमंडल द्वारा निम्न रूप में अधिनियमित हो :–

1. *lf{kIr uke] foLrkj vkj izkjEHk %&*

(1) यह अधिनियम बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा और इस संशोधन अधिनियम के उपबंध सभी लंबित मामलों पर लागू होंगे।

2. *fcgkj e|fu"k/k vkj mRikn vf/kfu;e] 2016 dh /kkjk&2 dh mi/kkjk ¼26½ ds i'pkr u;h mi/kkjk ¼26d½ dk vUr%LFkkiu* ।– बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–2 की उपधारा (26) के पश्चात् एक नयी उपधारा (26क) निम्न रूप में अन्तःस्थापित की जाएगी :–

''(26क) ''प्रदर्श'' से अभिप्रेत है कोई दस्तावेज, अभिलेख, वस्तु, फोटोग्राफ, एनीमेशन या कोई अन्य मद जिसका साक्ष्यिक मूल्य हो, जिसे न्यायालय में औपचारिक रूप से प्रस्तुत करना अपेक्षित हो और इसके अन्तर्गत दस्तावेज, अभिलेख, वस्तु, फोटोग्राफ, एनीमेशन या मद की वीडियोग्राफी, ड्रोन छवि आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक छवि है।''

*3- fcgkj e|fu"k/k vkj mRikn vf/kfu;e] 2016 dh /kkjk&2 dh mi/kkjk ¼69½ ds [kM esa l'kks/ku A&*बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–2 की उपधारा (69) ''अथवा खमीर मुक्त'' शब्दों को हटा दिया जाएगा।

4. *fcgkj e|fu"k/k vkj mRikn vf/kfu;e] 2016 dh /kkjk&37 dk ifrLFkkiu* ।– बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016, की धारा–37 *¼'kjkc dk miHkkx djus ds fy, 'kkfLr½* यथा 2018 के अधिनियम, 8 द्वारा संशोधित निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :–

''37– शराब का उपभोग करने के लिए शास्ति–(1) इस अधिनियम या नियम, अधिसूचना या इसके अधीन दिए गए आदेश के उल्लंघन में जो कोई किसी स्थान में शराब या मादक द्रव्य का उपभोग करता है या किसी परिसर या बाहर में नशे की अवस्था में पाया जाता है या किसी मादक द्रव्य के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे तुरत गिरफ्तार किया जाएगा और नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि उसे छोड़ दिया जाएगा यदि वह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित शास्ति का भुगतान कर देता है। ऐसी शास्ति का भुगतान करने में विफल होने पर उसे एक माह का साधारण कारावास दिया जाएगा। उसके पास कोई मादक पदार्थ मिलने पर उसे धारा–57 के अनुसार जब्त (अभिग्रहण) कर नष्ट कर दिया जाएगा।

परंतु बार–बार अपराध करने की दशा में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अतिरिक्त शास्ति या कारावास या दोनों विहित कर सकेगी।

स्पष्टीकरण 1 :– अभियुक्त को यह अधिकार नहीं होगा कि उसे अपेक्षित शास्ति का भुगतान करने पर छोड़ दिया जाय। पुलिस पदाधिकारी या उत्पाद पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट लिखित में कारणों को अभिलिखित कर अभियुक्त को शास्ति का भुगतान करने पर भी छोड़ने से इंकार कर सकेगा तथा उसे ऐसी अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकेगा जो वह उचित समझे।

स्पष्टीकरण 2 :– ऐसा छुटकारा विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण, यदि कोई हो, के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा।

(2) इस धारा के अधीन सभी अपराध कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया द्वारा निष्पादित किये जायेगे जो इस धारा के प्रयोजन द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। राज्य सरकार ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगी।

(3) इस धारा के अधीन मामलों का अन्वेषण उत्पाद पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी जो सहायक अवर निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा किया जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन अपराध करने का अभियुक्त कोई व्यक्ति किसी अन्य अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध भी करता है तो वह इस अधिनियम के अधीन यथा उल्लिखित परिणाम का भी सामना करेगा।''

5. *fcgkj e|fu"k/k vkj mRikn vf/kfu;e] 2016 dh /kkjk&39 dh mi/kkjk ¼2½ dk gVk;k tkuk %&* बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–39 *¼jlk;uK dh ndku esa 'kjkc ds miHkkx ds fy, 'kkfLr½* की उपधारा (2) को हटा दिया जायेगा।

6. *fcgkj e|fu"k/k vkj mRikn vf/kfu;e] 2016 dh /kkjk&55 dk gVk;k tkuk %&* बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–55 *¼vijk/kh dk 'keu ugha gkuk½* को हटा दिया जाएगा।

7. *fcgkj e|fu"k/k vkj mRikn vf/kfu;e] 2016 dh /kkjk&56 dk ifrLFkkiu A&* बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016, की धारा–56 *¼vf/kgj.k dh tk ldu okyh phts½* यथा 2018 के अधिनियम, 8 द्वारा संशोधित निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः–

"56- *tCr enk dk vf/kgj.k A&*

(1) धारा–57ख में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब कभी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया जाता है तो कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी, अन्वेषक पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर ऐसे मदों का अधिहरण कर सकेगा।

(2) ऐसे मदों में शामिल हो सकेंगे–

i. कोई परिसर या उसके भाग;
ii. कोई पशु, वाहन, बर्तन या सवारी;
iii. कोई शराब या मादक द्रव्य;
iv. मामले पर प्रभाव डालने वाला कोई अन्य मद

परन्तु जहाँ धारा–57 में यथाउल्लिखित वस्तुएँ नष्ट की जानेवाली हैं तो कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी को उसके नष्ट होने के पूर्व उसे अधिहरण करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) राज्य सरकार तलाशी, जब्ती, नष्ट करने और अधिहरण के तरीके और रीति की बाबत आवश्यक निदेश, मार्गदर्शन, विनियमन और अनुदेश जारी कर सकेगी।

8. *fcgkj e|fu"k/k vkj mRikn vf/kfu;e] 2016 dh /kkjk&57 dk ifrLFkkiu %&* बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–57 *¼vf/kgj.k ds iwoZ oLrqvksa dk foØ; ;k u"V djus dk vkns'k nsus dh dyDVj dh 'kfDr½* निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :–

"*57&u"V fd, tkus ds Hkkxh dN oLrq,¡ &* कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी धारा–57क के अधीन उपबंधित रीति से कुछ मदों को जो किसी उत्पाद पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी द्वारा जब्त किए गए हैं, नष्ट कर सकेगा यदि उसकी राय में ये मद दुरुपयोग किए जाने के भागी हैं या लोक सुरक्षा को खतरा पहुँचाने वाले हैं या सार्वजनिक स्थान लेने वाले हैं। ये मद हैं:–

(क) कोई मादकद्रव्य या शराब;
(ख) ऐसे मादकद्रव्य या शराब को रखने वाली कोई वस्तु, बर्तन, उपकरण, साधित्र, पैकेज या आवरक आदि;
(ग) तुच्छ मूल्य या जल्दी या प्राकृतिक रूप से नष्ट होने का भागी कोई अन्य मद।

9. *fcgkj e|fu"k/k vkj mRikn vf/kfu;e] 2016 dh /kkjk&57 ds i'pkr~ ,d u;h /kkjk&57d dk vUr%LFkkiu A–* बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–57 के पश्चात् एक नयी धारा–57क निम्न रूप में अन्तःस्थापित की जाएगी :–

" *57d& tCr oLrq,¡ fo'ks"kdj eknd nzO;ksa dk u"V djuk&*

(1) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा–451 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी को जब्त वस्तुओं विशेषकर मादक द्रव्यों को नष्ट करने का आदेश देने की शक्ति होगी यदि उसकी राय में जब्त वस्तु या मादक द्रव्य दुरूपयोग किए जाने के भागी हों या सार्वजनिक स्थान लेने वाले हों जिससे लोक सुरक्षा को खतरा हो।

(2) कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी उन मामलों में भी नष्ट करने का आदेश दे सकेगा जहाँ धारा–58 के अधीन अधिहरण कार्यवाही या विशेष न्यायालय द्वारा विचारण पूरा नहीं हुआ हो। अन्वेषण पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर नष्ट करने का ऐसा आदेश दिया जाएगा जो जब्त मादक द्रव्यों को नष्ट करने के लिए कहते समय रासायनिक परीक्षा के परिणाम को शामिल करेगा।

(3) कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी रासायनिक परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें नष्ट कराएगा।

(4) कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी सुनिश्चित करेगा कि ऐसा विनष्टीकरण कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में हो और इसकी प्रक्रिया नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी जैसे मोबाइल फोन या वीडियोग्राफी का प्रयोग कर सम्यक् रूप से अभिलिखित हो। कोई अन्य वस्तुएँ जैसे बर्तन, खाली बोतलें, पाऊच, पैकेज आदि भी नष्ट किए जा सकेंगे। ऐसे विनष्टीकरण की पूरी कार्यवाही मामले के निष्पादन तक सुरक्षित रखी जाएगी।

(5) ऐसे विनष्टीकरण पर कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी सम्बद्ध विशेष न्यायालय में प्रतिवेदन समर्पित करेगा। उक्त प्रतिवेदन प्रदर्श के रूप में माना जाएगा

www.LinkingLaws.com

जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (अधिनियम 1, 1872) की धारा–74 के अधीन एक सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में ग्राह्य होगा और विचारण के प्रयोजनार्थ साक्ष्य गठित करेगा।''

10. *fcgkj e|fu"k/k vkj mRikn vf/kfu;e] 2016 e u;h /kkjk&57[k dk vUr%LFkkiu A&* बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–57क के पश्चात् एक नयी धारा–57ख निम्न रूप में अन्तःस्थापित की जाएगी :–

'' 57[k& 'kkfLr ij oLrvk ;k ifjljk dk NkM tku dk Hkkxh gkuk &

(1) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने के लिए प्रयुक्त कोई पशु, वाहन, बर्तन या अन्य सवारी जिसे किसी पुलिस पदाधिकारी या उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जब्त किया गया हो, को ऐसी शास्ति के भुगतान पर कलक्टर द्वारा छोड़ दिया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(2) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने के लिए प्रयुक्त किसी परिसर या उसके हिस्से जिसे किसी पुलिस पदाधिकारी या उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जब्त किया गया हो, को ऐसी शास्ति के भुगतान पर कलक्टर द्वारा छोड़ दिया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(3) यदि संबंधित व्यक्ति शास्ति का भुगतान नहीं करता है तो कलक्टर धारा–58 के अनुसार उक्त पशु, वाहन, बर्तन या अन्य सवारी और परिसर के अधिहरण की कार्यवाही करेगा।

स्पष्टीकरण 1 :– अभियुक्त को यह अधिकार नहीं होगा कि अपेक्षित शास्ति के भुगतान पर उसकी सवारी, मद या परिसरों को छोड़ दिया जाय। कलक्टर, पुलिस पदाधिकारी या उत्पाद पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर लिखित में कारणों को अभिलिखित कर उक्त सवारी, मद या परिसरों को छोड़ने से फिर भी इंकार कर सकेगा और अधिहरण तथा नीलामी/विनष्टीकरण की कार्यवाही कर सकेगा।

स्पष्टीकरण 2 :– इस संशोधन के प्रवृत्त होने की तिथि से कलक्टर अधिहरण की चल रही कार्यवाही को बंद कर देगा यदि संबंधित व्यक्ति यथा अधिसूचित शास्ति का भुगतान कर देता है और ऐसे वाहन, सवारी या परिसर को छोड़ देगा।,

स्पष्टीकरण 3 :– ऐसा छुटकारा विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण, यदि कोई हो, के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा।''

11. *fcgkj e|fu"k/k vkj mRikn vf/kfu;e] 2016 dh /kkjk&62 dk ifrLFkkiuA*–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–62 ।– (परिसरों का सीलबंद किए जाने के अधीन होना) यथा 2018 के अधिनियम 8 द्वारा संशोधित, निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी &

''62 ifjljk dk lhycn fd, tku d v/khu gkuk– यदि किसी उत्पाद पदाधिकारी या किसी पुलिस पदाधिकारी, जो सहायक अवर निरीक्षक से अन्यून पंक्ति का हो को पता चले कि किसी खास परिसर या उसके किसी भाग में शराब अथवा कोई मादक द्रव्य पाया जाता हैं अथवा उस परिसर विशेष या उसका कोई हिस्सा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वह तत्काल उस परिसर या उसका कोई हिस्सा को सीलबंद कर सकेगा तथा उसके अधिहरण के लिए कलक्टर के पास प्रतिवेदन भेज सकेगा।

परन्तु, यदि उक्त परिसर अस्थायी सरंचना हो जिसे प्रभावी ढंग से सीलबंद नहीं किया जा सकता हो तो उत्पाद पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी, कलक्टर के आदेश से ऐसे अस्थायी संरचनाओं को ध्वस्त कर सकेगा।''

12. *fcgkj e|fu"k/k vkj mRikn vf/kfu;e] 2016 dh /kkjk&67] /kkjk&68] /kkjk&69] /kkjk&70] /kkjk&71] vkj /kkjk&72 dk gVk;k tkuk %&* बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–67 (*vkns'k d foLrkj.k dh vof/k*), धारा–68 *¼vLFkk;h :i l okilh dh vuqefr½*, धारा–69 *¼lk{; dh idfr½*, धारा–70 *¼rRdky fxj¶rkjh½*, धारा–71 *¼/kkjk&66 d v/khu vkns'k dk vuikyu ugh djus d fy, 'kkfLr½* और धारा–72 *¼Qjkj 0;fDr d lc/k e 'kfDr;k½* को हटा दिया जाएगा।

13. *fcgkj e|fu"k/k vkj mRikn vf/kfu;e] 2016 dh /kkjk&75 d i'pkr ,d u;h /kkjk&75d dk vUr%LFkkiu %&* बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–75 के पश्चात् एक नयी धारा–75क निम्न रूप में अन्तःस्थापित की जाएगी:–

''75d ifronu dk lkoltfud nLrkot gkuk– इस अधिनियम के अधीन कोई प्रतिवेदन चाहे भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से दाखिल किया जाय, विशेषकर रासायनिक परीक्षा से संबंधित, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (अधिनियम 1, 1872) की धारा–74 के अधीन सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में माना जाएगा।''

www.LinkingLaws.com

14. *fcgkj e|fu"k/k vkj mRikn vf/kfu;e] 2016 dh /kkjk&80 dk ifrLFkkiu %&* बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–80 *¼fxj¶rkj 0;fDr;k dh i'kh½* निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः–

"80-&fxj¶rkj 0;fDr;k dk i'k djuk&

(1) इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर विशेष न्यायालय या नजदीकी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो संपर्क माध्यम से पेश किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :– यदि कोई प्रश्न उठे कि क्या अभियुक्त व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो सम्पर्क माध्यम से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, तो अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को यथास्थिति उसके निरोध को प्राधिकृत करनेवाले आदेश में उसके हस्ताक्षर द्वारा या कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग द्वारा प्रमाणित किया जा सकेगा।,

(2) गिरफ्तार व्यक्ति की अभिरक्षा की माँग करते समय मजिस्ट्रेट के समक्ष सभी जब्त मदों या मादक द्रव्यों को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। संबद्ध उत्पाद पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी ऐसी बरामदगी का इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगा।

15. *fcgkj e|fu"k/k vkj mRikn vf/kfu;e] 2016 dh /kkjk&81 dk ifrLFkkiu %&* बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–81 *¼vfHkxghr oLrqvk vkj fxj¶rkj 0;fDr dk Lohdkj djus dk ifyl dk drO;½* निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः–

"81& fxj¶rkj 0;fDr;k] tCr oLrqvk vkj jklk;fud ijh{kk dh vfHkj{kk&

(1) विशेष न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति (व्यक्तियों) को न्यायिक अभिरक्षा या पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द करने तक गिरफ्तार व्यक्ति संबद्ध उत्पाद पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।

(2) जब्त वस्तुओं जिनमें मादक द्रव्य शामिल हैं, की दशा में संबद्ध उत्पाद पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी एक जब्ती सूची बनाएगा। उक्त जब्ती सूची एक प्रदर्श के रूप में मानी जाएगी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (अधिनियम 1, 1872) की धारा–74 के अधीन सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में ग्राह्य होगा और विचारण के प्रयोजनार्थ साक्ष्य गठित करेगा। इसके ठीक पश्चात्, संबद्ध पदाधिकारी कलक्टर के समक्ष यथास्थिति विनष्टीकरण या अधिहरण के लिए एक आवेदन देगा और कलक्टर के आदेश होने तक जब्त वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(3) मादक द्रव्यों आदि को नष्ट करने की माँग करते समय संबद्ध पुलिस या उत्पाद पदाधिकारी रासायनिक परीक्षण कराएगा। विशेष न्यायालय के अतिरिक्त कोई नजदीकी न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसी रासायनिक परीक्षा की अनुमति देने के लिए सक्षम होगा।

16. *fcgkj e|fu"k/k vkj mRikn vf/kfu;e] 2016 dh /kkjk&81 d i'pkr ,d u;h /kkjk&81d dk vUr%LFkkiu A&* बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–81 के पश्चात् एक नयी धारा–81क निम्न रूप में अन्तःस्थापित की जाएगीः–

"81d&tCr oLrq] LFky ij dc u"V dh tk ldxh– जहाँ भूभाग और परिवहन की चुनौतियों के कारण जब्त वस्तुओं या मादक द्रव्यों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना संभव न हो या जहाँ जब्त की गयी ऐसी वस्तुओं या मादक द्रव्यों को जब्त करने के स्थान पर प्रभावी रूप से सुरक्षित नहीं किया जा सके तो संबद्ध पुलिस पदाधिकारी या उत्पाद पदाधिकारी विशेष न्यायालय या कलक्टर के आदेश के बिना एक छोटे नमूने को रखकर स्थल पर ही सारी मात्रा को नष्ट कर सकेगा।

परन्तु जब्त वस्तुओं को नष्ट करनेवाला पदाधिकारी ऐसे विनष्टीकरण का इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे वीडियोग्राफी या ड्रोन छवि रखेगा और कलक्टर और विशेष न्यायालय को पूरे औचित्य के साथ एक प्रतिवेदन समर्पित करेगा। उक्त प्रतिवेदन एक प्रदर्श के रूप में माना जाएगा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम 1, 1872) की धारा–74 के अधीन एक सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में ग्राह्य होगा और विचारण के प्रयोजनार्थ साक्ष्य गठित करेगा।''

17. *fcgkj e|fu"k/k vkj mRikn vf/kfu;e] 2016 dh /kkjk&83 dk ifrLFkkiu A&* बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–83 *¼U;k;ky; }kjk fopkj.k½* निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः–

"83& fo'k"k U;k;ky; ¼U;k;ky;k½&

(1) इस अधिनियम की धारा–76 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय सभी अपराध, धारा–37 के अधीन अपराधों को छोड़कर, का विचारण विशेष न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा किया किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता

www.LinkingLaws.com

सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकेगा।

स्पष्टीकरणः– विशेष न्यायालयों में विद्यमान सभी मामले जहाँ अपराध केवल धारा–37 के अधीन प्रतिवेदित हो न कि इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम की अन्य धारा में तो इसे विशेष न्यायालय से जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इस रीति से अंतरित किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय। जहाँ ऐसे मामलों के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति अभी भी जेल में हो तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा यदि वे धारा–37 में यथाउल्लिखित कारावास की अवधि पूरी कर चुके हों।,

(2) ये न्यायाधीश राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किए जायेंगे।

(3) हरेक जिला में कम से कम एक विशेष न्यायालय होगा।

(4) इस अधिनियम या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार यदि लोक हित में और विद्यमान विशेष न्यायालयों के कार्यभार के आधार पर आवश्यक समझे, राज्य के हरेक जिला में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अधिक विशेष न्यायालय (न्यायालयों) स्थापित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(5) राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी, जो अपर सत्र न्यायाधीश रह चुके हों, विशेष न्यायालयों में पीठासीन होने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

(6) उच्च न्यायालय को विद्यमान अपर सत्र न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट को विशेष न्यायालय होने के लिए अभिहित करने की शक्ति होगी।

(7) जैसे ही स्थानान्तरण या छुट्टी या किसी अन्य कारण से विशेष न्यायालय रिक्त होता है, जिला और सत्र न्यायाधीश उक्त रिक्ति को भरने के लिए तुरत उच्च न्यायालय से अनुरोध करेगा और ऐसे समय तक अंतरिम व्यवस्था करेगा।''

18. *fcgkj e|fu"k/k vkj mRikn vf/kfu;e] 2016 dh /kkjk&84 dk izfrLFkkiu A&* बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–84 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः–

"84& fo'k"k U;k;ky;ks }kjk fopkj.k&

(1) सभी विशेष न्यायालय अनन्य होंगे और इस अधिनियम के अधीन केवल अपराधों का विचारण करेंगे।

(2) इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा किसी अपराध के विचारण को किसी अन्य न्यायालय (विशेष न्यायालय नहीं हो) में अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य मामले के विचारण पर अग्रता दी जाएगी और ऐसे अन्य मामले के विचारण पर अधिमान देकर इसे समाप्त किया जाएगा।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915) के अधीन किसी अन्य न्यायालय में लंबित सभी विचारण और कार्यवाहियाँ विशेष न्यायालयों को अंतरित हो जायेंगी।

(4) आरोप पत्र समर्पित किए जाने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर विशेष न्यायालय यथासंभव विचारण पूरा करेगा।

19. *fcgkj e|fu"k/k vkj mRikn vf/kfu;e] 2016 dh /kkjk&91 dh mi/kkjk ¼3½ dk izfrLFkkiuA&* बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–91 की उपधारा (3) *¼ekey s dks vUos"k.k ds i'pkr~ og ekeys ds jftLVhdj.k dh rkjh[k ls lkB fnuksa ds Hkhrj izfrosnu nk;j djsxk½* निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :–

"(3) ऐसे मामलों में जहाँ अपराध मृत्युदंड या कम से कम 10 वर्षों के कारावास से दंडनीय हैं, वह अन्वेषण के पश्चात् मामले के रजिस्ट्रीकरण की तिथि से 90 दिनों के अन्दर एक प्रतिवेदन दाखिल करेगा। अन्य सभी मामलों में वह मामले के रजिस्ट्रीकरण की तिथि से 60 दिनों के अन्दर प्रतिवेदन दाखिल करेगा।''

T;kfrLo:i JhokLro]
ljdkj ds iz/kku lfpoA

www.LinkingLaws.com

1 अप्रील 2022

सं० एल०जी०–01–08/2022&2769@y:t—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 1 अप्रील 2022 को अनुमत **बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2022 (बिहार अधिनियम 03, 2022)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
T;kfrLo:i JhokLro]
ljdkj ds iz/kku lfpoA

[Bihar Act 03, 2022]

THE BIHAR PROHIBITION AND EXCISE (AMENDMENT) ACT, 2022

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR PROHIBITION AND EXCISE ACT, 2016 [Bihar Act 20, 2016]

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy-Third year of the Republic of India as follows:-

1. ***Short title, extent and commencement.—***

(1) This Act may be called the Bihar Prohibition and Excise (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall extend to the whole State of Bihar.

(3) It shall come into force at once and the provision of this Amendment Act shall apply to all pending cases.

2. ***Insertion of new sub-section (26A) after sub-section (26) of section-2 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.***— A new sub-section (26A) after sub-section (26) of section- 2 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 shall be inserted as under: -

"(26A) "exhibit" means any document, record, object, photograph, animation or any other item having evidentiary value, which is required to be formally produced in a court of law, and includes such electronic images like videography, drone images etc of such document, record, object, photograph, animation or item."

3. ***Amendment to clause sub-section (69) of section-2 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—*** In the sub-section (69) of section-2 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, the words "or unfermented" shall be deleted.

4. ***Substitution of section-37 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—*** Section-37 **(Penalty for consumption of liquor)** of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, as further amended by Act, 8 of 2018, shall be substituted by the following:-

"**37- Penalty for consumption of liquor –**

(1) Whoever, in contravention of this Act or the rules, notification or order made there under consumes liquor or intoxicant at any place or is found drunk or found under influence of any intoxicant, within any premises or outside, shall be arrested immediately and produced before the nearest Executive Magistrate. He shall however be released if he pays a penalty as may be notified by the State Government. Failure to pay such penalty shall invite a simple imprisonment of one month. Any intoxicant found in his possession shall be seized and destroyed as per section-57.

www.LinkingLaws.com

Provided that, in case of repeat offenders, the State Government may, by notification, prescribe additional penalty or imprisonment or both.

[*Explanation 1*:- It shall not be a right of the accused to be released upon payment of the required penalty. The Executive Magistrate, based upon a report by a police officer or an excise officer, may, for reasons to be recorded in writing, still refuse to release the accused on payment of penalty and commit him to such custody as he deems fit.]

[*Explanation 2*:- Such release shall not affect the outcome of the trial, if any, before the Special Court.]

(2) All offences under this section shall be disposed of through the procedure of summary trial by an Executive Magistrate who shall exercise the powers of judicial Magistrate second class for the purpose of this section. The State Government shall appoint such Executive Magistrate in consultation with the High Court.

(3) The enquiry of cases under this section shall be conducted by an excise officer or a police officer not below the rank of Assistant Sub-Inspector.

(4) Any person accused of committing offence under this section also commits an offence punishable under any other Act, then he shall also face the consequences as mentioned under that Act."

5. ***Deletion of Sub-Section (2) of section-39 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—*** Sub-Section (2) of Section-39 **(Penalty for consumption of liquor in chemist's shop)** of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 shall be deleted.

6. ***Deletion of section-55 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—***section-55 **(Non compounding of offences)** of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 shall be deleted.

7. ***Substitution of section-56 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—*** Section-56 **(Things liable for confiscation)** of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, as further amended by Act, 8 of 2018, shall be substituted by the following:-

"**56- Confiscation of Seized Items:-**

(1) Notwithstanding anything contained in section-57B, whenever an offence punishable under this Act, is committed, the Collector or an officer authorized by him may confiscate such items based on the report of the investigating officer.

(2) Such items may include –

(i) any premises or part thereof;

(ii) any animal, vehicle, vessel or conveyance;

(iii) any liquor or intoxicant;

(iv) any other item having bearing with the case;

Provided, where things as mentioned in section-57 are to be destroyed, then the Collector or an officer authorized by him need not confiscate the same before their destruction.

(3) The State Government may issue necessary direction, guidelines, regulations and instructions with respect to the mode and manner of search, seizure, destruction and confiscation.

8. ***Substitution of section-57 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—*** Section-57 **(Power of Collector, etc., to order sale or destruction of articles before confiscation)** of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 shall be substituted by the following:-

www.LinkingLaws.com

"**57- Certain things liable to be destroyed-** The Collector or an officer authorized by him, may, in the manner provided under section-57A, destroy certain items that have been seized by any excise officer or police officer, if in his opinion, these items are liable to be misused or endangering public safety or occupying public space. These items are:-

(a) any intoxicant or liquor;

(b) any material, utensil, implement, apparatus, package or covering etc containing such intoxicant or liquor;

(c) any other item of trifling value or liable for speedy or natural decay."

9. ***Insertion of a new section-57A after section-57 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—*** A new section -57A shall be inserted after section -57 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 as under:-

"**57A-** ***Destruction of seized Items, particularly Intoxicants-***

(1) Notwithstanding anything contained in section -451 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974), the Collector or an officer authorized by him shall have the power to order destruction of seized items, particularly intoxicants, if, in his opinion, the seized items or intoxicants are liable to be misused or are occupying public places endangering public safety.

(2) The Collector or the officer authorized by him may order the destruction even in cases where the confiscation proceeding under section -58 or the trial by the Special Court has not concluded. Such destruction shall be ordered on the basis of the report of the Investigation Officer who shall, while asking for the destruction of the seized intoxicants, include the result of the chemical examination.

(3) The Collector or the officer authorized by him shall cause the destruction to be done after having obtained the chemical examination report.

(4) The Collector or the officer authorized by him shall also ensure that such destruction is carried in the presence of an Executive Magistrate and the process is duly recorded using latest electronic technology like mobile phones or videography. Any other things like utensils, empty bottles, pouches, packages etc may also be destroyed. The entire proceeding of such destruction shall be safely kept till the disposal of the case.

(5) Upon such destruction, the Collector or the officer authorized by him shall submit a report to the concerned special court. The said report shall be treated as exhibit, be admissible as a public document under section -74 of the Indian Evidence Act 1872 (Act 1 of 1872) and shall constitute the evidence for the purpose of the trial."

10. ***Insertion of new section-57B of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—*** A new Section-57B of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 shall be inserted after section-57A of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 as under:-

"**57B- Things or premises liable to be released upon penalty-**

(1) Any animal, vehicle, vessel or other conveyance used for committing any offence punishable under this Act that has been seized by any police Officer or Excise Officer may be released by

www.LinkingLaws.com

the Collector upon payment of such penalty as may be notified by the State Government.

(2) Any premises or part thereof used for committing any offence punishable under this Act that has been seized by any police Officer or Excise Officer may be released by the Collector upon payment of such penalty as may be notified by the State Government.

(3) If the person concerned does not pay the penalty, then the Collector shall proceed to confiscate the said animal, vehicle, vessel or other conveyance and premises as per section -58.

[*Explanation 1*:- It shall not be a right of the accused to get his conveyance, item or premises released upon payment of the required penalty. The Collector, based upon a report by a police officer or an excise officer, may, for reasons to be recorded in writing, still refuse to release the said conveyance, item or premises and proceed ahead with confiscation and auction/destruction.]

[*Explanation 2:*- The Collector shall, from the date of this Amendment coming into force, close the on-going confiscation proceedings if the person concerned pays the penalty as notified and release such vehicle, conveyance or premises.]

[*Explanation 3*:- Such release shall not affect the outcome of trial, if any, before the Special Court.] "

11. ***Substitution of section-62 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.***— Section- 62 **(Premises liable to be sealed)**, of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, as further amended by Act, 8 of 2018, shall be substituted by the following:-

"**62- Premises liable to be sealed**- If it comes to the notice of any excise officer or any police officer, not below the rank of Assistant Sub- Inspector, that any liquor or intoxicant has been found at a particular premises or a part thereof or that particular premises or a part thereof has been used for committing any offence under this Act, he may immediately seal the said premises or a part thereof and send a report to the Collector for the confiscation of the same.

Provided that if the said premises are temporary structures which cannot be effectively sealed, then the excise officer or the police officer, with the order of the Collector, may demolish such temporary structures."

12. ***Deletion of section-67, section-68, section-69, section-70, section-71 and section-72 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—*** The section-67 **(Extension of period of order)**, section-68 **(Permission to return temporarily)**, section-69 **(Nature of Evidence)**, section-70 **(Immediate Arrest)**, section-71 **(Penalty for non-compliance of order under section-66)** and section-72 **(Powers in relation to absconding person)** of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 shall be deleted.

13. ***Insertion of a new section-75A after section-75 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—*** A new section-75A shall be inserted after section-75 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 as under:-

"**75A- Reports to be Public Documents**- Any report under this Act, whether filed in physical form or through electronic online mechanism, particularly those related to chemical examination, shall be treated as a public document under section-74 of Indian Evidence Act 1872 (Act 1 of 1872)."

14. ***Substitution of section-80 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—*** Section-80 **(Production of Persons arrested)** of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 shall be substituted by the following:-

www.LinkingLaws.com

"**80- Production of Persons arrested**-

(1) Any person arrested under this Act shall be produced before the Special Court or the nearest Judicial Magistrate within 24 hours either in person or through the medium of electronic video linkage.

[*Explanation*: - If any question arises whether an accused person was produced in person or through the medium of electronic video linkage before the court, the production of the accused person may be proved by his signature on the order authorizing his detention or by video recording of the proceeding, as the case may be.]

(2) While seeking the custody of the arrested persons, it shall not be necessary to produce before the Magistrate all the items or intoxicants seized. The concerned Excise officer or police officer may bring the electronic evidence of such seizures."

15. ***Substitution of section-81 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—*** Section-81 **(Duty of police to accept seized articles and arrested persons)** of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 shall be substituted by the following: -

"81- Custody of Arrested Persons, Seized Articles and Chemical Examination-

(1) Till such time as the Special Court or the Judicial Magistrate commits the arrested person(s) to judicial custody or the police custody, the arrested person shall be kept in the safe custody by the concerned excise officer or the police officer.

(2) In case of seized articles including intoxicants, the concerned excise officer or the police officer shall draw a seizure list. The said seizure list shall be treated as an exhibit, be admissible as a public document under section-74 of the Indian Evidence Act 1872 (Act 1 of 1872) and shall constitute the evidence for the purpose of trial. Immediately thereafter, the officer concerned shall make an application before the Collector for destruction or confiscation, as the case may be and shall keep the seized articles in safe custody till the orders of the Collector.

(3) While seeking the destruction of intoxicants etc, the concerned police or excise officer shall get the chemical examination done. Apart from the Special Court, any nearest Judicial Magistrate or Executive Magistrate shall be competent to give the permission for such chemical examination."

16. ***Insertion of a new section-81A after section-81 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—*** A new section-81A shall be inserted after section -81 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 as under:-

"**81A-** ***Seized Article when may be destroyed on site***- Where it is not possible to secure the safe custody of the seized articles or intoxicants due to challenges of terrain and transportation or where such seized articles or intoxicants cannot be effectively secured at the site of their seizure, the concerned police officer or excise officer may, without the orders of the Special Court or the Collector, destroy all the quantity at the site itself, while retaining a small sample.

Provided that the officer destroying seized articles shall retain electronic evidence like videography or drone images of such destruction and submit a report to the Collector and the Special Court with full justification. The said report shall be treated as an exhibit, be admissible as a public document

www.LinkingLaws.com

under section-74 of the Indian Evidence Act 1872 (Act 1 of 1872) and shall constitute the evidence for the purpose of the trial."

17. ***Substitution of section-83 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—*** Section-83 **(Trial by the Court)** of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 shall be substituted by the following:-

"**83-** ***Special Court(s)-***

(1) Notwithstanding anything contained in section-76 of this Act, all offences punishable under this Act, except the offences under section-37, shall be tried by Special Court(s) which may be presided by Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Assistant Sessions Judge or Judicial Magistrate.
[Explanation- All existing cases in the Special Courts, where the offence is reported under section-37 only and no other section of this Act or any other Act, shall be transferred from the Special Courts to the Court of the District Magistrate in a manner prescribed by the State Government. Where persons arrested under such cases are still in jail, they shall be released if they have completed the period of imprisonment as mentioned in section-37.]

(2) These Judges shall be appointed by the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court.

(3) There shall be at least one Special Court in each district.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act or the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974), the State Government may, if consider necessary in the public interest and depending upon the workload of existing Special Courts, appoint or nominate in every district of the State, more Special Court(s) in consultation with the Chief Justice of the High Court.

(5) The State Government may also, in consultation with the Chief Justice of the High Court, appoint retired Judges, who have been Additional Sessions Judge, to preside over the Special Courts.

(6) The High Court shall also have the power to designate existing Additional Sessions Judges, Assistant Sessions Judges or Judicial Magistrates to be the Special Courts.

(7) As soon as Special Court falls vacant on account of transfer or leave or for any other reason, the District and Sessions Judge shall immediately request the High Court for filling up the said vacancy and shall make interim arrangement till such time."

18. ***Substitution of section-84 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—*** Section-84 **(Special Courts)** of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 shall be substituted by the following:-

"**84- Trial by Special Courts -**

(1) All Special Courts shall be exclusive and shall only try offences under this Act.

(2) The trial under this Act of any offence by the Special Court shall have precedence over the trial of any other case against the accused in any other Court (not being a Special Court) and shall be concluded in preference to the trial of such other case.

www.LinkingLaws.com

(3) All trials and proceedings under the Bihar Excise Act, 1915 (Bihar & Orissa Act II of 1915), pending in any other Court, before the commencement of this Act, shall stand transferred to the Special Courts.

(4) Special Court shall complete the trial, as far as possible, within a period of one year from the date of submission of the chargesheet."

19. ***Substitution of sub-section (3) of section-91 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—*** Sub-section (3) of Section-91 **(Procedure for launching Prosecution)** of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 shall be substituted by the following:-

"(3) In cases where offences are punishable with death or imprisonment for a term not less than 10 years, he shall, after the investigation, file a report within 90 days from the date of the registration of the case. In all other cases, he shall file the report within 60 days from the date of the registration of the case."

Jyoti Swaroop Srivastava,
Secretary incharge to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 171-571+400-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in

www.LinkingLaws.com